

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(आर-54 / 2023) / अलेसे-III / २४५४

दिनांक:- २७/०३/२६

कार्यालय आदेश

श्री रामचन्द्र, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) रोल नं.-709414 कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, सी.बी.एस आगार, अजमेर को राजस्थान सेवा नियम (खण्ड-प्रथम) के नियम-96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश (छोटे भाई की मृत्यु होने के कारण) स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 26.08.2025 से 29.08.2025 तक (कुल 04 दिवस)

उक्त 04 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री रामचन्द्र, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

यह निदेशक महोदया से अनुमोदित है।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

दिनांक:- २७/०३/२६

क्रमांक:-एफ.4(ई)(आर-54 / 2023) / अलेसे-III / २४५४
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 मुख्य प्रबन्धक, सी.बी.एस आगार, अजमेर।
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
- 3 श्री रामचन्द्र, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) रोल नं.-709414 कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, सी.बी.एस आगार, अजमेर।
- 4 संयुक्त निदेशक (आईटी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)
Signature valid

Digitally signed by Seema Kaushal
Designation: Joint Director
Date: 2026.03.27 17:50:54 IST
Reason: Approval

